छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 3-6-200
7-6-20

क्रमांक एफ-14-2-03/(6)/11—9 राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2001 से प्रभावी "छत्तीसगढ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति योजना नियम–2001" निम्नानुसार लागू करता है ।

1 उदेश्य

राज्य शासन द्वारा राज्य की लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में विकास तथा गुणवत्ता एवम उत्पादकता में विकास हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाने की क्षमता में वृद्धि करने तथा इस हेतु प्रेरित करने के उदेश्य से "तकनीकी प्रोन्नति योजना' तैयार की है जो दिनांक 1 नवम्बर 2001 से सम्पूर्ण राज्य में लागू होगी
इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक नीति की अवधि में अर्थात 5 वर्षो में राज्य शासन द्वारा 30 करोड रू0 का एक प्रोद्योगिकी प्रौन्नति कोष (ज्मबीदवसवहल न्च ळतंकंजपवद थ्नदक) निर्मित किया जावेगा ।

1– लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों (सूचना प्रोद्योगिकी इकाइयों सहित) द्वारा अपने उद्योग में तकनीकी प्रौन्नति हेतु बैंक / वित्तीय संस्थाओ से लिये गये ऋण के विरूद्ध ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी

2– राज्य के समग्र विकास हेतु तकनीकी विकास को प्रोत्साहन दिया जावेगा।

2 परिभाषा

इस योजना के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, वृहद व मध्यम उद्योग इकाई, सूचना प्रौद्योगिकी इकाई, तकनीकी प्रौन्नति की वही परिभाषा होगी जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-14-2/03/(6) 11-1 दिनांक 3/7/6 के द्वारा जारी की गई है

3 पात्रता

3.1– दिनांक 31.10..2001 तक उत्पादन में आई औद्योगिक इकाईयों जिन्हें विद्यमान इकाई कहा जावेगा को दिनांक 1.11.2001 या इसके पश्चात अपने उद्योग को तकनीकी प्रौन्नति हेतु बैंक / वित्तीय संस्था से सावधि ऋण प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ लेने की पात्रता होगी ।

3.2– औद्योगिक नीति के लागू होने के पश्चात स्थापित नवीन लघु–मध्यम उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रांरभ करने के कम से कम 3 वर्ष पश्चात अपने उद्योग की तकनीकी प्रौन्नति हेतु इस योजना का लाभ ले सकेंगे ।

3.3– उपरोक्त वर्णित उद्योगों को योजना के लाभ की पात्रता तभी होगी जब तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता के निर्धारण हेतु गठित समिति यह अनुशंसा करती है कि स्थापित

नवीन उद्योग को बाजार में प्रतिस्पर्धा मे बने रहने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार या उत्पादकता में वृद्धि हेतु उद्योग में तकनीकी प्रोन्नति की जाना आवश्यक है ।

3.4– भारत शासन/ राज्य शासन या इनके निगमों /मंडलो /संस्थाओं द्वारा स्थापित लघु उद्योग मध्यम उद्योग (सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों सहित) को इस योजना के अर्न्तगत पात्रता नही होगी ।

4 तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जावेगा जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	संभागीय उद्योग अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	लघु उद्योग संवा संसथान के प्रतिनिधि	सदस्य
4	लीड बैक अधिकारी	सदस्य
5	संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान / निगम जिनके द्वारा	सदस्य
6	तकनीकी प्रोन्नति हेतु ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित किया हो/ सवीकृत किया हो ।	
7	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,	सदस्य सचिव

(समिति आवश्यकता होने पर विषय विशेषज्ञ /विशेषज्ञ संस्था को सहयोजित कर सकेगी) योजना के कियान्वयन में तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता के संबंध में समिति सामूहिक रूप से दायी होगी, इसका उत्तरदायी सदस्य सचिव नही होगा ।

5 <u>वित्तीय सहायता (ब्याज अनुदान)की मात्रा तथा सीमा</u>

5.1 केवल तकनीकी प्रोन्नति हेतु किसी उद्योग को बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा, समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत सावधि ऋण (कार्यशील पूंजी इसमे सम्मलित नही होगी) ब्याज अनुदान की सीमा निम्नानुसार होगी

क–सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों हेतु 5 प्रतिशत वार्षिक जिसकी अधिकतम सीमा रू0 5 लाख प्रति वर्ष होगी

ख–अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक जिसकी कोई अधिकतम सीमा नही होगी ।

5.2– उपरोक्त (5.1) के अंतर्गत देय अनुदान की दर इस प्रकार सीमित होगी कि ऋणी उद्यमी को कम से कम 1 प्रतिशत ब्याज स्वयं देना होगा तथा अनुदान की दर वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिरोपित दर से 1 प्रतिशत (स्वंय द्वारा देय ब्याज) कम करने के पश्चात शेष बची ब्याज दर के आधार पर अधिकतम सीमा तक दी जा सकेगी

5.3– ब्याज़ अनुदान की अवधि ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से 5 वर्ष होगी

5.4– ब्याज अनुदान केवल मूल ब्याज दर के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क शास्ति या अन्य कोई अतिरिक्त देय दर पर अनुदान प्राप्त नही होगा ।

5.5– यदि किसी त्रैमास में समय पर ब्याज या किश्त न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त संस्था द्वारा "डिफाल्टर" माना जाता है

नवीन उद्योग को बाजार में प्रतिस्पर्धा मे बने रहने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार या उत्पादकता में वृद्धि हेतु उद्योग में तकनीकी प्रोन्नति की जाना आवश्यक है ।

3.4– भारत शासन/ राज्य शासन या इनके निगमों /मंडलो /संस्थाओं द्वारा स्थापित लघु उद्योग मध्यम उद्योग (सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों सहित) को इस योजना के अर्न्तगत पात्रता नही होगी ।

4 तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता का निर्धारण एक समिति द्वारा किया जावेगा जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	संभागीय उद्योग अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	लघु उद्योग संवा संसथान के प्रतिनिधि	सदस्य
4	लीड बैक अधिकारी	सदस्य
5	संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान / निगम जिनके द्वारा	सदस्य
6	तकनीकी प्रोन्नति हेतु ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित किया हो/ सवीकृत किया हो ।	
7	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,	सदस्य सचिव

(समिति आवश्यकता होने पर विषय विशेषज्ञ /विशेषज्ञ संस्था को सहयोजित कर सकेगी) योजना के कियान्वयन में तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता के संबंध में समिति सामूहिक रूप से दायी होगी, इसका उत्तरदायी सदस्य सचिव नही होगा ।

5 <u>वित्तीय सहायता (ब्याज अनुदान)की मात्रा तथा सीमा</u>

5.1 केवल तकनीकी प्रोन्नति हेतु किसी उद्योग को बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा, समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत सावधि ऋण (कार्यशील पूंजी इसमे सम्मलित नही होगी) ब्याज अनुदान की सीमा निम्नानुसार होगी

क–सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों हेतु 5 प्रतिशत वार्षिक जिसकी अधिकतम सीमा रू0 5 लाख प्रति वर्ष होगी

ख–अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों हेतु 10 प्रतिशत वार्षिक जिसकी कोई अधिकतम सीमा नही होगी ।

5.2– उपरोक्त (5.1) के अंतर्गत देय अनुदान की दर इस प्रकार सीमित होगी कि ऋणी उद्यमी को कम से कम 1 प्रतिशत ब्याज स्वयं देना होगा तथा अनुदान की दर वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिरोपित दर से 1 प्रतिशत (स्वंय द्वारा देय ब्याज) कम करने के पश्चात शेष बची ब्याज दर के आधार पर अधिकतम सीमा तक दी जा सकेगी

5.3– ब्याज़ अनुदान की अवधि ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से 5 वर्ष होगी

5.4– ब्याज अनुदान केवल मूल ब्याज दर के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क शास्ति या अन्य कोई अतिरिक्त देय दर पर अनुदान प्राप्त नही होगा ।

5.5– यदि किसी त्रैमास में समय पर ब्याज या किश्त न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त संस्था द्वारा "डिफाल्टर" माना जाता है

तो उस त्रैमास में ब्याज अनुदान प्राप्त नही होगा । किसी त्रैमास में एक बार डिफाल्टर हो जाने पर उस त्रैमास की ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी भले ही आगामीं त्रैमास /त्रैमासों में पूर्व के त्रैमास के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए, इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक त्रैमास में प्रमाण पत्र देना होगा ।

5.6– यदि किसी उद्योग को बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण में, तकनीकी प्रोन्नति हेतु समिति द्वारा अनुशंसित मंदो का भी समावेश हो तथा उस पर " छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम –2001 के अन्तर्गत ब्याज अनुदान स्वीकृत/प्राप्त हुआ हो तो इस योजना के अर्न्तगत पुनः अनुदान देय नही होगा

6– <u>प्रकिया :–</u>

6.1– विद्धमान/नवीन लघु–मध्यम औधोगिक इकाईयों को उद्योग आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित सहपत्रों के साथ सबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा

1– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/,आई.ई.एम जो लागू हो

2– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

3– अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र

4– तकनीकी प्रोन्नति हेतु समिति द्वारा अनुशंसित योजना की प्रति

5– तकनीकी प्रोन्नति हेतु स्वीकृत ऋण का स्वीकृति पत्र सिर्फ पहले त्रैमास के आवेदन के साथ उसके पश्चात स्वीकृत पत्र में संशोधन /परिर्वतन होने पर सबंधित त्रैमास में आवेदन के साथ संशोधित स्वीकृति पत्र लगाना होगा ।

6– निर्धारित प्रारूप में विवरण, जिसमें विद्यमान नवीन लघु–मध्यम औधेागिक इकाई/ द्वारा लिया गया ऋण भुगतान की किस्त, इकाई पर अधिरोपित ब्याज, इकाई द्वारा भुगतान किया गया मूलधन व ब्याज, ब्याज की दर, ब्याज अनुदान की दर तथा राशि से सबंधित विवरण जो सबंधित शाखा प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, का समावेश होगा ।

7– वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित त्रैमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा

ऋणी इकाई किसी भी रूप में डिफाल्टर नही है या ऋण के भुगतान हेतु स्थगन सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया है ।

6.2– ब्याज अनुदान सबंधी क्लेम इकाई द्वारा या वित्तीय संस्था द्वारा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर संबंधित जिले के महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को इकाई द्वारा तकनीकी प्रोन्नति योजना पुरा करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात प्रस्तुत किया जावेगा

6.3– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा क्लेम का परीक्षण कर क्लेम ब्याज अनुदान के नियमों के अनुसार होने पर निर्धारित प्रारूप मे स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा । बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि ऋणी विशेष के खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जावेगी जो उसी ऋणी के खाते में सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक तुरंत द्वारा जमा की जावेगी ।ब्याज अनुदान की राशि नगद में नही दी जायेगी ।

6.4– ब्याज अनुदान का प्रथम क्लेम विद्यमान/ नवीन लघु –मध्यम इकाई द्वारा तकनीकी प्रोन्नति योजना पूरी करने के दिनांक से एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा । निर्धारित अवधि के पश्चात किया गया क्लेम महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा निरस्त किया जावेगा तथा निस्तीकरण आदेश पारित किया जावेगा। आगामी किसी भी त्रैमास का क्लेम अगले 2 त्रैमास के अंदर जिला व्यापार एवां उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा अन्यथा मान्य योग्य नही रह जायेगा, अपरिहार्य कारणों से हुए विलब को अगले उच्च अधिकारी द्वारा गुण दोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा ।

ब्याज अनुदान की वसुली–

7.1– ब्याज अनुदान की राशि इकाई के खाते मे जमा हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि इकाई / बैक द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो ब्याज अनुदान की राशि एक मुश्त वसुली योग्य हो जावेगी जिसकी वसुली संबंधित/ बैक /इकाई या दोनों से की जा सकेगी यह राशि इकाई / बैंक या दोनों से भू–राजस्व वसुली के अनुसार वसुल की जा सकेगी ।

7.2– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को यह अधिकार है कि ब्याज अनुदान का क्लेम स्वीकृत होने के पश्चात बाद में नियमानुसार नही पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकेगा एवम यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैक को प्रेषित कर दी गई है तो वापस प्राप्त कर सकेगा ।

8– <u>अपील :–</u>

महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी । अपील का निर्णय अधिकतम 60 दिनों में किया जायेगा ।

9– नियमो की व्याख्या अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं इकाई के लिये बंधनकारी होगा ।

10– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा

11 उद्योग आयुक्त योजना के कियान्वयन के सबंध में कार्यकारी निर्देश जारी कर सकेगें

12 प्रोद्योगिकी प्रोन्नति कोष के गठन व कोष से ब्याज अनुदान के स्वीकृति/ वितरण के अलावा अन्य उपयोग करने के सबंध में पृथक से शासनादेश जारी किये जावेगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमिताभ जैन)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर